बृजमोहन बनाम शान्तिबाई

रिव्यु प्रार्थना–पत्र संख्या : 2022/224

23.06.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई । अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2018 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की । प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की गई, जो अपील संख्या 2020/00117 दर्ज रजिस्टर की गई तथा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.07.2021 से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने रिव्यु प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील की सुनवाई के लिये प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को सूचना नहीं हो पाई। दिनांक 01.04.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को रजिस्टर्ड सम्मन भेजा मानकर दिनांक 05.07.2021 का आदेशिका मे एक माह से अधिक रजिस्टर्ड सम्मन भेजा मानकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को सुनकर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जबकि वास्तव मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को उक्त सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, न ही माननीय न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही की। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को माननीय न्यायालय की अपील की सुनवाई की सूचना नहीं हुई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे फाईल नहीं मिलने के कारण जब पत्रावली तलाश की तो दिनांक 25.08.2022 को यह ज्ञात हुआ कि पत्रावली कोटा कोर्ट मे गई है, ऐसे मे पत्रावली के बारे मे पता करके दिनांक 26.08.2022 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उसकी नकल दिनांक 07.09.2022 को प्राप्त होने पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा रिव्यु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की जानकारी मे आते ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाए। वास्तव मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अन्त मे रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2021 निरस्त फरमाया किये जाने का निवेदन किया । अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1971 पेज 167 तथा आर.आर.डी. 1976 पेज 91 प्रस्तुत किया। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दोबारा सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक

30.07.2021 को निरस्त कर अपील में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट को विधिक रूप से तामील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विधिवत रूप से पारित निर्णय पर आपत्ति करने का रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं है। उक्त आपत्ति रिव्यु का आधार नहीं हो सकता है। तामील पर पारित आदेश को अपील मे ही चुनौती दी जा सकती है, रिव्यु मे नहीं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत है। प्रार्थी को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.07.2021 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेन्ट को सूचना प्रदान की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा रिव्यु को मियाद मे लाने का ध्येय से प्रार्थना–पत्र मे असत्य कथन वर्णित किये है। लिमिटेशन के आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य है। रिव्यु का स्कोप सीमित है, जिसमे मियाद , तामील , विधिक प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी सद्भाविक नहीं होने से सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2023(1) डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 227 पेश किया। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2020/117 की आदेशिका की प्रमाणित फोटोप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दिनांक 04.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.10.2020 की आदेशिका के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रार्थी को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रार्थी के पुनः सम्मन नोटिस पेश किये जाने के आदेश हुए जिसकी पालना मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस पेश किये गये जो दिनांक 01.04.2021 को जारी हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रार्थी को जारी रजिस्टर्ड एडी को एक माह से अधिक का समय हो जाने के तामील मानी गई। तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी जाकर दिनांक 30.07.2021 को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 30.07.2021 का है जबकि रिव्यु प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.09.2022 को पेश किया गया है, जो काफी विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मे अंकित तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। रिव्यु प्रार्थना–पत्र

प्रस्तुत किये जाने मे हुई देरी का कोई पर्याप्त व ठोस कारण प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मे अंकित नहीं किया है। जहां तक तामील का प्रश्न है, वह रजिस्टर्ड डांक द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की गई थी तथा एक माह पश्चात् प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की तामील मानी गई। गुणावगुण पर भी न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.07.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय मे लोक अदालत मे निर्णय व डिक्री पारित की गई, जबकि लोक अदालत मे केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमे उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा प्रस्तुत करें। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.07.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे लोक–अदालत मे समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए थे, कोई विधिक राजीनामा भी समस्त पक्षकारान ने प्रस्तुत नहीं किया था। ऐसी स्थिति मे भी इस रिव्यु प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली लम्बित है, अतः प्रार्थी वहां पर अपना समस्त पक्ष रख सकता है। अतः गुणावगुण पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य नहीं है। रिव्यु का स्कोप बहुत सीमित होता है, रिव्यु को अतिरिक्त अपील के रूप मे प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र गंभीर रूप से अवधि बाधित होने तथा गुणावगुण पर भी बलहीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 30.07.2021 यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा